संख्या-34/2019/1090जेएल/22-3-19-800(102)/2018

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
कन्नौज।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊः दिनांकः 12 अप्रैल 2019***

विषय- जिला कारागार कन्नौज के सिद्धदोष बंदी विनीत मिश्रा पुत्र श्री मनीराम मिश्रा, निवासी-ग्राम-महोई, थाना-छिबरामऊ, जनपद-कन्नौज को पुत्र के उपचार हेतु पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-17/जि0प्रो0का0/पैरोल-वृद्धि/2019-20, दिनांक 04-04-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त जिला कारागार कन्नौज के सिद्धदोष बंदी विनीत मिश्रा पुत्र श्री मनीराम मिश्रा, निवासी-ग्राम-महोई, थाना-छिबरामऊ, जनपद-कन्नौज को शासनादेश संख्या-22/2019/215जेएल/22-3-19-800(102)/2018, दिनांक 12-02-2019 के क्रम में **एक माह की पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-34/2019/1090जेएल(1)/22-3-19-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2- अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
3- पुलिस अधीक्षक, कन्नौज।
4- अधीक्षक, जिला कारागार कन्नौज।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in